संख्या-10/2016/614 /52-2-2016-2(10)/16

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण,उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 25 मई, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि सुरक्षा योजनान्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2016/बी-1-724/दस-2016-231/2015, दिनाक 22.03.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि सुरक्षा योजनान्तर्गत चहारदीवारी के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ (रूपया चार सौ करोड़ मात्र) को प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2-(1) स्वीकृति की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमो के अर्न्तगत यदि शासन या अन्य सक्षम अधिकारी पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो उसे प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जाय।

(2) निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि, जनपदो के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी निर्माण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1052/52-2-12-2(69)/07 टी0सी0, दिनांक 10.09.2012 में दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार चयनित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी निर्माण हेतु व्यय होने वाली धनराशि का आवंटन प्रस्ताव सबंधित जनपदो के जिलाधिकारियो द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही संबंधित जनपदो को आवंटित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-1052/52-2-12-2(69)/07 टी0सी0-3 दिनांक 10.09.2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि से योजनार्तगत अल्पसंख्यक समुदायो के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो जो पूर्णतया उन्ही के, द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा हो, के चहारदीवारी के निर्माण पर ही व्यय की जायेगी, निजी कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो पर नहीं की जायेगी।

(5) आंवटित की जा धनराशि से चयनित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(6) चयनित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी का निर्माण कार्य माडल एस्टीमेट/डिजाइन के प्रेषण विषयक शासनादेश संख्या-1837/52-2-2013-2(69)2007 दिनांक 14.10.2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।

(7) स्वीकृति की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/ बी-1-746/दस /2016 /231/2016 दिनांक 22.03.2016 में दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय करते समय शासकीय व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों विशेषकर शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008 मित0-1/2007, दिनांक 02.11.2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों/शिड्यूल- आफ- रेट एवं विशिष्टियों के आधार पर ही कराया जायेगा।

(10) जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी के निर्माण कार्यो की जांच करायी जायेगी ताकि निर्माण कार्य अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हो। चहारदीवारी निर्माण एवं अवमुक्त धनराशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण सहित, मासिक प्रगति आख्या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक " 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामें डाले जायेगा।

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सर्वे कमिश्नर वक्फ,उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी,अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
8. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
9. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2016/614(1) /52-2-2016-2(10)/16

प्रेषक

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण,उ0प्र0
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः जून, 2016

विषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि सुरक्षा योजनान्तर्गत चहारदीवारी निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-10/2016/614/52-2-2016-2(10)/16 दिनांक 25-05-2016 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2016/बी-1-724/दस-2016-231/2015, दिनाक 22.03.2016 में दिये गये दिशा निर्देशों/व्यवस्था के अनुसार उ0प्र0 में अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलों की भूमि सुरक्षा योजनान्तर्गत चहारदीवारी के निर्माण हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 400.00 करोड़ (रूपया चार सौ करोड़ मात्र) को प्रस्तर-2 में उल्लिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2-(1) स्वीकृति की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इस संबंध में वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमो के अन्र्तगत यदि शासन या अन्य सक्षम अधिकारी पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो उसे प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जाय।

(2) निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण उ0प्र0 के निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि, जनपदो के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी निर्माण हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-1052/52-2-12-2(69)/07 टी0सी0, दिनांक 10.09.2012 में दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार चयनित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी निर्माण हेतु व्यय होने वाली धनराशि का आवंटन प्रस्ताव सबंधित जनपदो के जिलाधिकारियो

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

द्वारा निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसे शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही संबंधित जनपदो को आवंटित की जायेगी।

(3) स्वीकृति की जा रही धनराशि का उपयोग शासनादेश संख्या-1052/52-2-12-2(69)/07 टी0सी0-3 दिनांक 10.09.2012 में दी गयी व्यवस्थानुसार की जायेगी।

(4) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि से योजनार्तगत अल्पसंख्यक समुदायो के सार्वजनिक कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो जो पूर्णतया उन्ही के, द्वारा प्रयोग में लाया जा रहा हो, के चहारदीवारी के निर्माण पर ही व्यय की जायेगी, निजी कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो पर नहीं की जायेगी।

(5) आंवटित की जा धनराशि से चयनित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी का निर्माण कार्य कराया जायेगा।

(6) चयनित कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी का निर्माण कार्य माडल एस्टीमेट/डिजाइन के प्रेषण विषयक शासनादेश संख्या-1837/52-2-2013-2(69)2007 दिनांक 14.10.2013 में दी गयी व्यवस्थानुसार कराया जायेगा।

(7) स्वीकृति की जा रही धनराशि के व्यय के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/ बी-1-746/दस /2016 /231/2016 दिनांक 22.03.2016 में दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृति की जा रही धनराशि का व्यय करते समय शासकीय व्यय में मितव्ययता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों विशेषकर शासनादेश संख्या-सी0ए0-934/दस-2008 मित0-1/2007, दिनांक 02.11.2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) योजनान्तर्गत कराये जाने वाले निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित अद्यतन दरों/शिड्यूल- आफ- रेट एवं विशिष्टियों के आधार पर ही कराया जायेगा।

(10) जिलाधिकारी द्वारा समय-समय पर कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थलो की चहारदीवारी के निर्माण कार्यो की जांच करायी जायेगी ताकि निर्माण कार्य अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण हो। चहारदीवारी निर्माण एवं अवमुक्त धनराशि के व्यय के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय विवरण सहित, मासिक प्रगति आख्या जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के द्वारा, निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उ0प्र0 के माध्यम से शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) उक्तके फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक" 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों/अन्त्येष्टि स्थल की चहारदीवारी का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य " के नामें डाले जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- प्रश्नगत शासनादेश संख्या-10/2016/614/52-2-2016-2(10)/16 दिनाक 25-5-2016 के पृष्ठांकन मे समस्त, मण्डलायुक्त, जिलाधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 को पृष्ठांकित किया जाता है जो छूट गया था जिसे पृष्ठांकन मे अंकित कर दिया गया है। अत शासनादेश दिनाक 25-5-2016 के पृष्ठांकन मे इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव

संख्या व दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम /द्वितीय,उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सर्वे कमिश्नर वक्फ,उ0प्र0, लखनऊ।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
7. वित्त एवं लेखाधिकारी,अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0,लखनऊ।
8. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
11. अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1
12. गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष कार्याधिकारी

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।